



राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय, राजस्थान जयपुर

कमांक प-1(1)(जी-72)निकृ/गुप-6/ 11240-503

दिनांक:- 17/3/17

निदेशक उद्यान विभाग राज0 जयपुर ।

निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर।

समस्त संयुक्त निदेशक कृषि/उद्यान

समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।

समस्त उप निदेशक कृषि (वि0)जि0प0/उद्यान/सि0क्षै0वि0,इगानप।

समस्त उप निदेशक कृषि एवं पदेन परि0 निदेशक (आत्मा)

उप निदेशक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र कोटा।


समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि0/उद्यान/सम्बन्धित अधिकारी)

विषय:- सहायक कृषि अधिकारी से कृषि अधिकारी सैक्शन-1 (विस्तार) कनिष्ठ पद पर पदोन्नति उपरान्त वेतन निर्धारण एवं आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश बावत।

प्रसंग:- निदेशालय के पत्र कमांक प-1(1)(72)निकृ/गुप-6/10896-942 दिनांक 30.01.17

उपरोक्त प्रसांगिक पत्र के द्वारा विभाग में सहायक कृषि अधिकारी से कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को उच्च वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर स्थिर करने के कारण दो अधिक वेतन वृद्धियों का लाभ होने पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 31 के अनुसार एक वर्ष बाद वेतन वृद्धि स्वीकृत करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर आपके अधीन कार्यरत पदोन्नत कृषि अधिकारियों के वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों का परीक्षणोपरान्त संशोधित वेतन निर्धारण कर अधिक वेतन भुगतान की वसूली सम्बन्धित कार्मिक से करने हेतु लिखा गया था।

इस प्रकरण में मार्ग दर्शन हेतु पत्रावली वित्तीय सलाहकार कृषि द्वारा वित्त विभाग को भेजी गई है। अतः उपरोक्त जारी दिशा निर्देशों को वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक आस्थगित किया जाता है।



(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

दिनांक:- 17/3/17

कमांक प-1(1)(जी-72)निकृ/गुप-6/ 11240-503

प्रतिलिपि एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय जयपुर को कृषि विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)